

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 112/2021-22


आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
<p>22/9/22</p>	<p>आवेदक (1) लेव लकड़ा, पिता स्व० जुवेल लकड़ा, जाति उरॉव, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरणी</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> <th>जमीन किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लोंगा</td> <td>140</td> <td>138</td> <td>1708</td> <td>0.58 एकड़</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">कुल रकबा 0.58 (अन्धावन डिसमील)</p> <p>प्लॉट सं० 1708 का चौहदी :- उत्तर में – जोन बाड़ा, दक्षिण में – पी०सी०सी० सड़क, पूरब में – नीज बिक्रेता, पश्चिम में – बिहानू चौक।</p> <p style="text-align: center;">जमीन बिक्रेता का विवरणी</p> <p>(1) लेव लकड़ा, पिता स्व० जुवेल लकड़ा, जाति उरॉव, थाना – बसिया, जिला– गुमला</p> <p style="text-align: center;">जमीन क्रेता का विवरणी</p> <p>एलिस लकड़ा, पिता – लेव लकड़ा, जाति उरॉव, ग्राम – लोंगा, थाना – बसिया, जिला गुमला।</p> <p>आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता एलिस लकड़ा, पिता – लेव लकड़ा, जाति उरॉव, ग्राम – लोंगा थाना – बसिया, जिला– गुमला से राशि 2,00,000 (दो लाख) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 390 दिनांक 22/09/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए</p>	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	लोंगा	140	138	1708	0.58 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
लोंगा	140	138	1708	0.58 एकड़										


✓

अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबरती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक लेव लकड़ा, पिता स्व० जुवेल लकड़ा, जाति उरॉव, थाना - बसिया, जिला-गुमला को उपरोक्त वर्गित अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानुगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)